न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
इजलास श्री दिनेश शर्मा आर०ए०एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 14/2022
1– जगदीश पुत्र लखमीचन्द जाति वैश्य निवासी कामां
प्रार्थी

बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां जिला भरतपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक: 03.6.2022

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1346/276/0.23, 276/0.31 नवीन खसरा नम्बर 204/0.31, 567/0.23 हैक्टर वाके ग्राम सतवास तहसील कामां की प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी का रकवा है । मौके पर दोनों नम्बरों का रकवा पूरा है , परन्तु नक्शा हाल में कम अंकित है ऐसी सूरत में दोनों नम्बरों के नक्शा हाल में आराजी खसरा नम्बरों के मुताबिक नक्शा ट्रेस में संशोधन किये जाना आवश्यक है । खसरा नम्बरों के मुताबिक पूरा रकवा दर्शाते हुये नक्शा ट्रेस में संशोधन करने की कृपा करें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया है । दिनांक 07.06.2022 को फोलोअप कैम्प ग्राम पंचायत सतवास में तहसीलदार कामां ने बिन्दुबार मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आराजी खसरा नम्बर 204/0.31 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 567 रकवा 0.23 हैक्ट0 मुताबिक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड है । उक्त नम्बरान की नक्शें में बरारी करने पर क्षेत्रफल पूरा नहीं बैठता है । जबकि मौके पर रकवा पूरा है । उक्त खसरा नम्बरान के पडौसी खसरा नम्बरान की भी रकवा बरारी करने पर क्षेत्रफल पूरा नहीं बैठता है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रकवा के मुताबिक कम बैठता है इस स्थिति में आ0ख0नं0 204/0. 31, 567/0.23 की सीमा पडौसी खसरा नम्बरान में नही बढाई जा सकती है । उक्त खसरा नम्बरान की तरह ही ग्राम सतवास के अधिकांश खसरा नम्बरान की वही स्थिति है जिससे यह प्रतीत होता है कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा ग्राम सतवास का नक्शा सही नहीं बनाया गया है । अतः ऐसी स्थिति में नक्शा में शुद्धि किया जाना उचित नहीं है ।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सं02069–72, 2074–2077 नक्शा ट्रेस, संलग्न किया है ।

पत्रावली का अवलोकन किया तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का अवलोकन किया । तहसीलदार कामां ने अपने रिपोर्ट में अवगत कराया है कि आ0ख0नं0 204/0.31, 567/0.23 के नक्शे में रकवा बरारी करने पर क्षेत्रफल पूरा नहीं बैठता है। जबकि मौके पर रकवा पूरा है । उक्त खसरा नम्बरान के पडौसी खसरा नम्बरान

उपखण्ड अ...
... (भरत...

की रकवाबरारी करने पर क्षेत्रफल पूरा नहीं बैठता है । इस स्थिति में आ0ख0नं0
204/0.31, 567/0.23 की सीमा पडौसी खसरा नम्बरान में नहीं बढाई जा सकती है
। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा ग्राम का नक्शा सही नहीं
बनाया गया है । इस स्थिति में नक्शा में शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता
है । अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत धारा 136 के तहत
खारिज किया जाने योग्य है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र भू.राजस्व अधिनियम
अन्तर्गत धारा 136 को खारिज किया जाता है । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर राज0)